


परेली
25/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
सुलाराम पुत्र लालराम जाति जाल का. परेली	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 226 /2021	GCMS No. 2021/915	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.11.2021	<p>वादी श्री सुलाराम पुत्र लालराम जाति जाल निवासी परेली द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेली में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम परेली पटवार मण्डल परेली के खाता नम्बर 243 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि सुलाराम पुत्र गोडि-5 एम दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम सुलाराम पुत्र लालराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 842426007728 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी परेली भू.अ.नि क्रिष्ण एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दायर हो।</p>	
	 उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)	



915-915